भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] No. 190] दिल्ली, शुक्रवार, मई 19, 2017/वैशाख 29, 1939

ि रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 64

DELHI, FRIDAY, MAY 19, 2017/VAISAKHA 29, 1939

[N.C.T.D. No. 64

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Je folkkx

vf/kl upuk

दिल्ली, 18 मई, 2017

l a Qk- 27½07½el h∨kbl, Q@Je@2016@266.—जबकि, दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग−IV में दिनांक 31 जनवरी, 2017 को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 द्वारा यथापेक्षित दिल्ली कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2017 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जनता को जिस तिथि से उपलब्ध कराई जाती है, उस तिथि से पैंतालिस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव मांगे गये थे।

और जबिक, इस राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 जनवरी, 2017 को उपलब्ध कराई गई थी।

और जबिक, उक्त प्रारूप पर जनता से कोई आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अब, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 14 फरवरी, 1958 की अधिसूचना संख्या का.आ. 108 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 7 सितम्बर, 1966 की अधिसूचना का.आ. संख्या 2709 के साथ पठित कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

fu; ekoyh

- 1- I f{kir 'kh"kid| foLrkj rFkk i kj#k % (1) इन नियमों को दिल्ली कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाए।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. fu; e 5 dk l å kk/ku & दिल्ली कारखाना नियमावली, 1950 (इसके बाद मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 5 में.—
 - (i) उप नियम (1) तथा (3) में ''एक वर्ष या पाँच वर्ष'' शब्दों के पश्चात् ''या दस वर्ष'' शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।
 - (ii) उप नियम (2) में ''पाँच वर्ष'' शब्दों के पश्चात् ''या दस वर्ष'' शब्दों तथा ''पाँच बार'' शब्दों के पश्चात् ''या दस बार क्रमशः'' शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

3245 DG 2017 (1)

- 3- fu; e 7 dk l ł kk/ku & mDr fu; ekoyh d fu; e 7 e k
 - (i) उप नियम (2) में ''एक वर्ष या पाँच वर्ष'' शब्दों के पश्चात् ''या दस वर्ष'' शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।
 - (ii) उप नियम (3) में ''पाँच वर्ष'' शब्दों के पश्चात् ''या दस वर्ष'' शब्दों तथा ''पाँच बार'' शब्दों के पश्चात् ''या दस बार क्रमशः'' शब्दों को सन्तिविष्ट किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, संजय कुमार सक्सेना, सचिव एवं आयुक्त (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 18th May, 2017

No. F. 27(07)/CIF/Lab/2016/266.—Whereas, a draft of the Delhi Factories (Amendment) Rules, 2017 was published, as required by section 115 of the Factories Act, 1948 in the Delhi Gazette Extraordinary, Part IV dated the 31st January, 2017 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty five days from the date on which the copies of such notification as published in the Delhi Gazette were available to the public;

And whereas, such Gazette copies were made available to the public on the 31st January 2017;

And whereas, no objection or suggestion has been received from the public on the said draft;

Now, in exercise of the powers conferred by section 115 of the Factories Act, 1948, read with Government of India, Ministry of Labour, Notification No. S.O. 108 dated the 14th February, 1958, read with Ministry of Home Affairs Notification S.O. No. 2709 dated the 7th September, 1966, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend in the Delhi Factories Rules, 1950, namely:-

RULES

- 1. Short title, extent and commencement- (i) These rules may be called the Delhi Factories (Amendment) Rules,
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Rule 5- In the Delhi Factories Rules, 1950 (hereinafter referred as to the said rules), in rule 5,-
 - (i) in sub-rules (1) and (3), after the words "one year or five years", the words "or ten years" shall be inserted.
 - (ii) in sub-rule (2), after the words "five years", the words "or ten years" and after the words "five times" the words "or ten times respectively" shall be inserted.
- 3. Amendment of Rule 7 In the said rules, in rule 7, -
 - (i) in sub-rule (2), after the words "one year or five years", the words "or ten years" shall be inserted.
 - (ii) in sub-rule (3), after the words "five years", the words "or ten years" and after the words "five times", the words "or ten times respectively" shall be inserted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR SAXENA, Secy.-cum-Commissioner (Labour)